न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1470/2026
द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–96/2026

UPGZ010033412026

कांति पत्नी शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, निवासी–70, 02 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नंदग्राम, थाना–नंदग्राम, जिला–गाजियाबाद––––––––––––––आवेदक/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–76/2026
धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–नंदग्राम, गाजियाबाद

11.03.2026

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–76/2026 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–नंदग्राम, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्ता की ओर से गुलिस्ता पत्नी राजा कुरैशी का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्ता का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सहवन धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए अभियुक्ता की जमानत स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त प्रकरण अभियुक्ता का रिमांड धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, जिस कारण अभियुक्ता का रिहाई परवाना नहीं जा पा रही है। अभियुक्ता उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्ता पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्ता शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्ता अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्ता एक सम्मानित परिवार की सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्ता व सह–अभियुक्ता शेर मोहम्मद को उनके मकान के गेट पर गिरफ्तार करना तथा उनकी निशानदेही

पर घर के कमरे में रखे बैड़ से 406 पुड़िया स्मैक कुल वजनी 50.75 ग्राम बरामद की गयी है। अतः आवेदक अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

6— उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्ता द्वारा प्रथम जमानत आवेदन धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जो कि पंजीकृत होकर गुणदोष के आधार पर सुनवाई करते हुए दिनांकः 23.02.2026 को स्वीकृत किया जा चुका है। उसके पश्चात् हस्तगत प्रकरण के विद्वान विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट की घटोतरी करते हुए धारा—8/21 की बढोतरी के आधार पर स्वीकृत रिमांड की जानकारी होने पर यह द्वितीय जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रथम जमानत आवेदन में पारित आदेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्ता को धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अपराध में प्रथम जमानत आवेदन के आधार पर स्वीकृत जमानत की शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता कांति की ओर से मु०अ०सं०—76/2026 धारा—8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना—नंदग्राम, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन सं०—96/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता को प्रथम जमानत आवेदन सं० 66/2026, मु०अ०सं० 76/2026, धारा—8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना—नंदग्राम, गाजियाबाद के अनुसार अधिरोपित शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

(सुशील कुमार—चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०—03,
गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480